सं० मो० वि०/एफ०डी०/18-87/13800.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० राजेन्द्रा पेपर मिल्ज, 50-ए, एन० आई० टी०, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री नायक राम, पुत्र श्री भुलई राम, मकान नं० डी० 52, फिरोजगांधी नगर फरीदाबाद, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री नायक राम की सेवा निवृति न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० मो० वि०/एफ०डी०/37-87/13807.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इण्डो सविस टाईम लि० डुण्डा हेड़ा, (गुड़गांव) के श्रमिक मिस सन्तोष राठौर, पुत्री श्री पो० एस० राठौर मार्फत राव पृथ्वी सिंह यादव, मकान नं० 514/4, अवन इस्टेट, गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या मिस सन्तोष राठौर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० मो० वि०/एफ०डी०/61-87/13814.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इसपेट्रिक्स एक्सपोर्ट प्रा० लि०, 241 उद्योग विहार गुड़गांव के श्रमिक श्री बीरभान शर्मा, मार्फत श्री महावीर त्यागी, इन्टक यूनियन दिल्ली, रोड़, गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद लिखित मामले मे कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उस से सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला हैं :—

क्या श्री बीरभान शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० मो० वि०/एफ०डी०/69-87/13821.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० डेवो सैट (इण्डिया), प्रा० लि०, प्लाट नं० 269, उद्योग विहार, फेज-II, डुण्डाहेड़ा, गुड़गांव, के श्रमिक श्री श्रीभगवान, पुत्र श्री इन्द्रदेव मार्फत श्री महावीर त्यागी इन्टक यूनियन दिल्ली रोड़, गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय